

15/2/23

पत्रावली पेश हुई। अपीलोट मय अधिवक्ता उदरिक्त
अपीलांत की ओर से प्रार्थना पत्र वास्तु
अपील को जरिये विडो (खारिज) करने
काबत पेश की गई है श्री जो शामिल
मिसलें हों। अपीलांत गंगाशम पुत्र
शुभोशाराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणपुर
की ओर से प्रार्थना पेश कर हस्तगत
अपील को आगे चलाया नहीं चाहते हैं
क्योंकि अपीलांत व समस्त उत्तरदाता
के मध्य आपसी राजीनामा होने का उल्लेख
किया है। ऐसी रूरत में अपीलांत का प्रार्थनापत्र
स्वीकार कर अपीलांत की अपील इसी स्टेप
पर खारिज की जाती है। अपीलांत की पहचान
अधिवक्ता पुनमाराम चौधरी ने की। अपीलांत
व अपीलांत के अधिवक्ता को सुना पत्रावली
का अवलोकन अध्ययन किया गया। अपीलांत
अपनी स्वेच्छा से अपील आगे चलाया नहीं
चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील
जरीये विडो खारिज की जाती है। अदेश
की प्रति अधिनस्थ तहसीलदार कल्याणपुर
को प्रेषित है। पत्रावली फौसल सुमार होकर
दाखल दफ्तर है।

निर्णय आज तारीख 15/02/2023 को सुले
न्यायालय में सुनाया गया है।


आतेरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

ET
15/2
15/2